



2026:AHC-LKO:12415-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 1580 सन 2026**

प्रशांत शुक्ला

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव पंचायती राज लखनऊ

एवं 11 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : वीरेंद्र सिंह, धीरेंद्र प्रताप सिंह**प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :** मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता आगामी पंचायत चुनाव के लिए अस्थायी मतदाता सूची पर पहले ही आपत्तियां दर्ज करा चुका है। इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2026 है, जो अभी समाप्त नहीं हुई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिका समय से पहले दायर की गई है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।
3. हालांकि, याचिकाकर्ता को उचित कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

फ़रवरी 17, 2026

प्रवीण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।